फा.सं. 1 (34)/ई. II (क)/2010

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

संस्था - II (क) शाखा

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 02 मई, 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा संबंधित वित्तीय सलाहकार की सलाह को अस्वीकार करके प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के मामलों में संस्वीकृति संसूचित करना- आगे स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 7 अक्तूबर, 2010 के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग के सचिव ने संबंधित वित्तीय सलाहकार की सलाह को अस्वीकार किया है, वहां वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 25 के संदर्भ में संस्वीकृति पत्र में शामिल किए जाने वाला खण्ड निम्न प्रकार पढ़ा जाए:-

"यह संस्वीकृति मुख्य लेखा प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है । आंतरिक वित्त/एकीकृत वित्त की सलाह डा.सं./यू.ओ. सं. ....दिनांक...........................के द्वारा सूचित की गई ।"

2. इस विभाग के देखने में आया है कि उक्त प्रावधान का उपयोग मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे मामलों में भी किया जा रहा है जो मंत्रालय/विभाग की प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी मंत्रालय/विभाग के सचिव केवल उन्हीं मामलों में वित्तीय सलाहकार के परामर्श को अस्वीकार कर सकते हैं जो विभाग के सचिव की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अपेक्षाकृत अधिक धनराशि वाले अन्य मामलों में वित्तीय सलाहकार की सलाह को अस्वीकार करने के प्रश्न पर वित्तीय शक्तियों के वर्तमान प्रत्यायोजन के संदर्भ में उपयुक्त सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने की जरूरत है।

3. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आर. प्रेम आनन्द

(आर. प्रेम आनन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार।

No.1(34)/E.II(A)/2010
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.II(A) Branch

...

North Block, New Delhi
Dated 2nd May, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Communication of sanction in case where the Secretary of a Ministry/Department approves a proposal by overruling the concerned Financial Adviser – Further clarification reg.**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even no. dated 7th October, 2010 on the above cited subject, wherein, it has been stipulated that in cases where the Secretary of a Ministry/ Department has over-ruled the concerned Financial Adviser, the clause to be added to the sanction letter in the context of Rule 25 of the Delegation of Financial Powers Rules, should read as follows:-

"This sanction issues with the approval of the Chief Accounting Authority. The advice of Internal Finance/Integrated Finance was conveyed vide Dy. No./UO No....... dated........"

2. It has come to the notice of this Department that the aforesaid provision is being used by Ministries/ Departments even in cases which do not fall in the delegated powers of the Ministry/ Department. In this context, it is clarified that the Secretary of a Ministry/ Department can overrule the Financial Adviser only in respect of cases which fall within the financial powers delegated to the Secretary of the Department. The question of overruling the Financial Adviser in other cases of higher value needs to be considered by the appropriate Competent Financial Authority in terms of extant delegation of financial powers.

3. This issues with the approval of the Finance Secretary.

R. Premanand
(R. Prem Anand)
Under Secretary to Govt. of India

To
All Secretaries of the Ministries/Departments of Govt. of India
All Financial Advisers in the Ministries/Departments of Govt. of India.